रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-7

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 1979/वैशाख 15, 1901

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 1979/VAISAKHA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1979

का. आ. 1421.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 43-पेद्दापुरम सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बेदमपुडी इसराइल, कटरावूलापाली, ताल्लुक पेद्दापुरम, जिला पूर्व गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बेदमपुडी इसराइल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. आ. प. वि. सं. 43/78(25)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1979

S.O. 1421.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bedampudi Israel, Katravulapalli, Peddapuram Taluk, East Godavari District (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 43-Peddapuram assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bedampudi Israel to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/43/78(25)]

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

का. आ. 1422.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 224-संगोला सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भद्रे शिवाप्पा कल्ल्पा, मु. पो. जवले, ता. संगोला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त श्री भद्रे शिवाप्पा कल्ल्पा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा. वि. स. 224/78(124)]

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1979

S.O. 1422.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhandare Shivappa Kallappa, At & Post Jawale, Sangola Taluk, Solapur District, Maharashtra, a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 224-Sangola constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhandare Shivappa Kallappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA]224/78(124)

का. आ. 1423.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-केसरीसिंह पर (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जोगिन्दर सिंह, चक 15 एफ बड़ा मठाली राठान, तहसील श्रीगंगानगर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जोगिन्दर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज.-वि. सं./7/77(6)]

S.O. 1423.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Joginder Singh, Chak 15 F Bara, Matilirathan, Teh. Sri Ganganagar, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 7-Keserisinghpur (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satified that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Joginder Singh to the disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/7/77(6)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

का. आ. 1424.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 8-करनपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलविन्द्र सिंह, वार्ड नं., करनपुर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलविन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज.-वि. सं./8/77(7)]

New Delhi, the 2nd April, 1979

S.O. 1424.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Balavindra Singh, Ward No. 8, Karanpur, Rajasthan a contesting candidate for general election to the House of the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 8-Karanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Balavindra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/8/77(7)]

का. आ. 1425.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 168-किनवात सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रायबोले सदाशिव सटवाजी, नि. दाभाडी, ता. किनवात, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रायबोले सदाशिव सत्वाजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ।

[सं. महा.-वि. सं. 168/78(125)]

S.O. 1425.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raibole Sadashiv Satwaji, R/o Dabhadi, Kinwat Taluk, Nanded District, Maharashtra, a contesting candidate for General Election to the Maharashtra, Legislative Assembly held in February, 1978 from 168-Kinwat constituency, has failed to lodge an account of his election in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raibole Sadashiv Satwaji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/168/78(125)]

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979

का. आ. 1426.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 85-उदुमबनचोला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मैनुअल सुबायन, चीनथालर सं. 3, लैण्ड्र्यू, डाक उप्पुथरा, जिला इडुक्की (केरल राज्य) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मैनुअल सुबायन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ।

[सं. केरल-वि. स./85/77]

New Delhi, the 4th April, 1979

S.O. 1426.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manual Subayan, Cheenthalar No. 3, Landrew P.O. Upputhara, District Idukki (Kerala State), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 85-Udumbanchola assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manual Subayan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/85/77]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

का. आ. 1427.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 118-दरयापुर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पाटिल कृष्णाराव त्रिम्बकराव, गांव शिरसगांव बंदू, ताल्लुक अचलपुर, जिला अमरावती, (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार, ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पाटिल कृष्णाराव त्रिम्बकराव को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा.-वि.स./118/78(126)]

New Delhi, the 6th April, 1979

S.O. 1427.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patil Krishnarao Trimbakrao, Village-Shirasgaon Band, Taluka-Achalpur, District-Amravati (Maharashtra), a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 118-Daryapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patil Krishnarao Trimbakrao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/118/78(126)]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

का. आ. 1428.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 8-करनपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्शा सिंह मारफत गुरशरन सिंह, एडवोकेट, करनपुर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुन्शा सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज.-वि. सं./7/77(8)]

New Delhi, the 7th April, 1979

S.O. 1428.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Munsha Singh C/o. Gursharan Singh, Advocate, Karanpur, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 8-Karanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munsha Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/8/77(8)]

का. आ. 1429.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-डीग विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मानसिंह सुपुत्र श्री चिरंजी, ग्राम पूछरी, तहसील नगर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मानसिंह सुपुत्र श्री चिरंजी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज.-वि. स./70/77(9)]

S.O. 1429.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Man Singh S/o Shri Chiranji, Village Punchari Tehsil Nagar, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 70-Deeg assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Man Singh S/o Shri Chiranji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[RJ-LA/70/77(9)]

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1979

का. आ. 1430.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए, तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-पुरासावाल्कम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के. एन. सम्पथ नायडू, 98-कालाट्टप्पा मुडाली स्ट्रीट, मद्रास-7 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के. एन. सम्पथ नायडु को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना. वि. स./6/77(26)]

New Delhi, the 11th April, 1979

S.O. 1430.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. N. Sampath Naidu, 98-Kalathiappa Mudali Street, Madras-7, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 6-Purasawalkam assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas after considering the representation made by the said candidate the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. N. Sampath Naidu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/6/77(26)]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

का. आ. 1431.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 1 फरवरी, 1977 की इसकी अधिसूचना सं. 434/त. ना./77 (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में,—

(क) उक्त सारणी में स्तम्भ 1 की मद सं. 30 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

"(1) विशेष उप-कलक्टर (सार्वजनिक ट्रस्ट), तिरुवरूर ।

(2) विशेष उप-कलक्टर (राजस्व न्यायालय), तिरुवरूर ।

(3) सहायक कलक्टर, नागापट्टीनम ।

(4) जिला हरिजन कल्याण आफिसर, थन्जावुर ।

(5) जिला पिछड़े वर्ग कल्याण आफिसर, थन्जावुर ।

(6) राजस्व खण्ड आफिसर, मन्नारगुडी" , और

(ख) उक्त सारणी में स्तम्भ 1 की मद सं. 31 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

"(1) प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), मन्नारगुडी ।

(2) प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), थन्जावुर ।

(3) निगम आयुक्त, थन्जावुर ।

(4) राजस्व खण्ड आफिसर, थन्जावुर ।

(5) जिला आपूर्ति आफिसर, थन्जावुर ।

(6) राजस्व खण्ड आफिसर, कुम्भाकोनम ।"

[सं. 434/त. ना./79(2)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 19th April, 1979

S.O. 1431.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/TN/77(2) dated 1 February, 1977, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification,—

(a) for the existing entries against item 30 appearing in column 1 of the said Table, the following entries shall be substituted :—

"(1) Special Deputy Collector (Public Trust), Tiruvarur.

(2) Special Deputy Collector (Revenue Court), Tiruvarur.

(3) Assistant Collector, Nagapattinam.

(4) District Harijan Welfare Officer, Thanjavur.

(5) District Backward Classes Welfare Officer, Thanjavur.

(6) Revenue Divisional Officer, Mannargudi."; and

(b) for the existing entries against item 31 appearing in column 1 of the said Table, the following entries shall be substituted :—

"(1) Authorised Officer (Land Reforms), Mannargudi.

(2) Authorised Officer (Land Reforms), Thanjavur.

(3) Municipal Commissioner, Thanjavur.

(4) Revenue Divisional Officer, Thanjavur.

(5) District Supply Officer, Thanjavur.

(6) Revenue Divisional Officer, Kumbakonam."

[No. 434/TN/79(2)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

नोटिस

का. आ. 1432.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त प्राधिकारी को श्री के. के. बसु, एडवोकेट, संख्या 6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, पूरे भारत में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/64/78-न्याय]

ल. च. हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 19th April, 1979

NOTICE

S.O. 1432.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. K. Basu, Advocate, No. 6 Oki Post Office Street, Calcutta-1 for appointment as a Notary to practise in and throughout India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/64/78-Jus.]
L. D. HINDI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 1433.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे वह प्रशासक, उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जाता हो) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 (1978 का 43) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेगा।

[सं. यू. 11030/1/79-यू.टी.एल.]

पी. एस. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1433.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union territory (whether known as the Administrator, Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, in relation to the Union territory concerned, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (43 of 1978).

[U-11030/1/79-UTL]
P. S. MEHTA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1979

का. आ. 1434.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (2 ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट तमिलनाडु परिवहन और इंजीनियरी नियमों द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी किए गए डिबेंचरों और ऐसी तारीख के पश्चात् जारी किए जाने वाले डिबेंचरों को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए, तमिलनाडु सरकार की कर्मकार सहयोग स्कीम के भागरूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तुक :—

(क) ऐसे डिबेंचरों के मूलधन के प्रतिसंदाय या ब्याज के संदाय के लिए किसी सरकार के प्रत्याभूति न दी हो ;

(ख) ऐसे डिबेंचर केवल व्यष्टियों को, जिनके अंतर्गत दो या अधिक संयुक्त व्यष्टि भी हैं, जारी किए गए हों ;

(ग) ऐसे डिबेंचर इस शर्त के अधीन रहते हुए जारी किए गए हों कि वे खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं हो सकेंगे ;

(घ) ऐसे डिबेंचरों पर ब्याज बारह प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो, और

(ङ) ऐसे ब्याज से होने वाली आय की कुल रकम जो कि प्रत्येक कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई है या जिसके जमा या संदत्त किए जाने की संभावना है, पांच सौ रुपए से अधिक न हो।

2. इस अधिसूचना में की कोई बात ऐसे मामले को लागू नहीं होगी जहां वेतन और डिबेंचरों से होने वाली कुल आय न्यूनतम करोधय सीमा से अधिक हो जाती है।

सारणी

1. पल्लवन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास।
2. पांडियान रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड, मदुरै।
3. चेरन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोयम्बटूर।
4. चलन रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड, कुम्बाकोनम।
5. अन्ना ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, सलेम।
6. कोट्टाबोमन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, नगर कालय।
7. मल्लवन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास।
8. मदुरै पाण्डियन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मदुरै।
9. चेरन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मदुरै।
10. चलन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, कुम्बाकोनन।
11. अन्ना इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, सलेम।

[फा. सं. 275/154/77-आई.टी.ए.]

एस. आर. वधवा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th March, 1979

S.O. 1434.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said clause, the debentures issued before the date of publication of this notification in the Official Gazette, and the debentures to be issued after such date, by the Transport and Engineering Corporations of Tamil Nadu specified in the Table hereto annexed, as a part of the Workers Participation Scheme of the Government of Tamil Nadu :

Provided that—

(a) such debentures are not guaranteed by any Government as to the repayment of the principal or payment of interest ;

(b) such debentures are issued only to individuals including two or more individuals jointly ;

(c) such debentures are issued subject to the condition that they cannot be transferred to any person other than those mentioned in clause (b) ;

(d) such debentures carry interest at a rate not exceeding twelve per cent per annum ; and

(e) the aggregate amount of such interest income, credited or paid, or likely to be credited or paid, during a financial year in respect of each employee or former employee, does not exceed five hundred rupees.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a case where the income from debentures, together with the income from salary, exceeds the minimum taxable limit.

TABLE

1. Pallavan Transport Corporation Limited, Madras.
2. Pandiyan Roadways Corporation Limited, Madurai.
3. Cheran Transport Corporation Limited, Coimbatore.
4. Cholan Raodways Corporation Limited, Kumbakonam.
5. Anna Transport Corporation Limited, Salem.
6. Kottaboman Transport Corporation Limited, Nagercoil.
7. Pallavan Engineering Corporation Limited, Madras.
8. Madurai Pandiyan Engineering Corporation Limited Madudai.
9. Cheran Engineering Corporation Limited, Pollachi.
10. Cholan Engineering Corporation Limited, Kumbakonam.
11. Anna Engineering Corporation Limited, Salem.

[F No. 275/154/77-ITB]
S. R. WADHWA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

आय-कर

का. आ. 1435.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मैसर्स ब्रज लाल कपूर एण्ड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतसर" को निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 2733 फा. सं. 197/40/77-आ.क. (ए1)]
जे. पी. शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 28th February, 1979

(INCOME-TAX)

S.O. 1435.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "M/s. Brij Lal Kapoor & Sons Charitable Trust, Amritsar" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1971-72.

[No. 2733 F. No. 197/40/77-IT(AI)]
J. P. SHARMA, Director

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

स्टाम्प

का. आ. 1436.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निवेश निगम, लिमिटेड बम्बई को, डिबेंचरों के रूप में उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ और तीस लाख रुपये के अंकित मूल्य के बन्ध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य केवल एक लाख बहत्तर हजार और पांच सौ रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुज्ञा देती है ।

[संख्या 18/79-स्टाम्प फा. सं. 33/18/79-वि. कर.]
एस. डी. रामस्वामी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 19th April, 1979

STAMPS

S.O. 1436.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the State Industrial Investment Corporation of Maharashtra Ltd., Bombay to pay consolidated stamp duty of one lakh seventy two thousands and five hundred of rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of two crores and thirty lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 18/79-Stamps F. No. 33/18/79-ST]
S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का. आ. 1437.—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस निगम द्वारा जारी किये जाने वाली 5,00,00,000 रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी पर जो सरकार द्वारा प्रतिभूत होगी वार्षिक लाभांश की न्यूनतम दर छः प्रतिशत निर्धारित करती है ।

[सं. एफ. 2(9) आई. एफ. 1/79]
बी. सी. पटनायक, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd April, 1979

S.O. 1437.—In pursuance of Section 5 of the Industrial Finance Corporation of India Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government hereby fixes the minimum rate of annual dividend guaranteed by that Government on the additional share capital of Rs. 5,00,00,000 to be issued by the Corporation at six per cent.

[No. F. 2(9) IF. I/79]
B. C. PATNAIK, Director

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 1438.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री भरत सिंह, 26/73 कोयला वाली बस्ती, जीवनी मंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश), को 18 अप्रैल, 1979 से प्रारम्भ होकर 25 अक्तूबर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, जमाकर्ताओं (डिपाजिटरों) के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सिंडीकेट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या एफ. 9/29/77-बी. ओ. 1]
च. वा. मीरचन्दानी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1438.—In pursuance of sub-clause (d) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Bharat Singh, 26/73, Kola Wali Basti, Jiwni Mandi, Agra (U.P.) as a Director of the Syndicate Bank for a period commencing on the 18th day of April 1979 and ending with the 25th day of October, 1980 to represent the interests of depositors.

[No. F. 9/29/77-BO I]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

का. आ. 1439.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है :

(क) कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) और (2) के उपबन्ध भारतीय स्टेट बैंक पर 30 जून 1980 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध इसके अध्यक्ष पर कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1), के अधीन पंजीकृत कम्पनी एग्रीकलचरल फाइनेंस कार्पोरेशन लि. का निदेशक होने पर रोक लगाते हैं, और

(ख) कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध भारतीय स्टेट बैंक पर 30 जून, 1980 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध उक्त बैंक द्वारा एग्रीकलचरल फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की शेयर धारिता पर रोक लगाते हैं।

[संख्या एफ. 13-10/78-ए. सी.]

यशवन्त राज, अवर सचिव

New Delhi, the 19th April, 1979

S.O. 1439.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India hereby declares :

(a) that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section 1 of Section 10 of the said Act shall not apply to the State Bank of India upto 30th June 1980 in so far as the said provisions prohibit its Chairman from being a director of the Agricultural Finance Corporation Ltd. being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and

(b) that the provision of sub-section (3) of Section 19 of the said Act shall not apply to the State Bank of India upto 30th June 1980 in so far as the said provisions prohibit the said bank from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Ltd.

[No. F. 13-10/78-AC]

YASHWANT RAJ, Under Secy.

(व्यय विभाग)

(रक्षा प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

का. आ. 1440.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा (समूह 'ग और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में, "भाग 1 समूह 'ग' सेवाएं" शीर्षक के नीचे,—

(1) क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 11 में, "सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे लिपिकों/टंककों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर ली है और जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित अर्हता है, आशुलिपि और टंकण में परीक्षण के माध्यम से चयन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।"

(2) क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों "18 से 25 वर्ष तक" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिकतम आयु सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष होगी।"

[संख्या 0715/ए. एन. एच. (पी. सी.)]

वी. एन. आर. राव, सहायक वित्त सलाहकार (सी)

(Department of Expenditure)

(Defence Division)

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 1440.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution; the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

(1) These rules shall be called the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. In the schedule annexed to the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, under the heading "Part I Group 'C' Services".

(i) against serial number 8 in column 11, for the entry "By direct recruitment" the following shall be substituted, namely :—

"By selection through a test in stenography and typewriting from amongst Clerks/Typists who have put in at least three years service in the grade and possess qualification prescribed in column 8, failing which by direct recruitment."

(ii) against serial number 8 in Column 7 after the existing entries "Between 18 to 25 years", the following shall be added, namely :—

"The maximum age limit shall be 35 years for departmental candidates".

[No. 0715/AN-H(PC)]
V. N. R. RAO, Asstt. Financial Adviser (C).

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

(आय-कर)

का. आ. 1441.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं. 670 (फा. सं. 187/2/74-आई टी (एआई), तारीख 20-7-1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

क्रम सं. 11 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

7. सर्वेक्षण सर्किल, कानपुर ।

[सं. 2628 (फा. सं. 187/27/78-आई टी(ए1)]
एम. शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30th December, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 1441.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 679 (F. No 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-1974 as amended from time to time.

After the last entry under Column 3 against Sl. No. 11 the following shall be added.

7. Survey Circle, Kanpur.

[No. 2628 (F. No. 187/78-IT(A1)]
M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का. आ. 1442.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारियों (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में,—

(1) नियम 2, में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(ट) 'संयुक्त निदेशक' से निर्यात निरीक्षण परिषद् का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है ,

(2) नियम 12 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि आरोप के किसी या सभी अनुच्छेदों पर निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा तथा परिषद् के कर्मचारी को ऐसे अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।"

[सं. 3(11)76 ई. आई एण्ड ई. पी.]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLY AND CO-OPERATION

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1442.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette;

2. In Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978,

(1) in rule 2, the following shall be added, namely :—

(l) 'Joint Director' means the Joint Director of the Export Inspection Council ;

(2) for sub-rule (4) of rule 12 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence aduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on the Council employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Council employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed."

[F. No. 3(11)/76-EI&EP]

का. आ. 1443.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (ट) में, शब्द "परिषद् का" के स्थान पर "परिषद् या अभिकरण का" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि आरोप के किसी या सभी अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा तथा अभिकरण के कर्मचारी को ऐसे अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।"

[सं. 3(11)/76 ई. आई. एण्ड ई. पी.]

सी. बी. कुकरेती, उप निदेशक

S.O. 1443.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz :—

1. (1) These Rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into froce on their publication in the Official Gazette.

2. Rules 10 and 9 of the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules 1978 shall be re-aligned as 9 and 10.

3. In sub-rule (k) of Rule 2 of the said Rules, the words "or Agency" shall be added at the end.

4. In sub-rule (1) of Rule 9 of the said Rules, the word "Council" appearing in second line shall be substituted as "Agency".

5. In sub-rule (2) of Rule 9 of the said Rules, the word "Council" appearing in third line shall be substituted as "Agency".

6. For sub-rule (4) of Rule 12 of the said Rules, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 should be imposed on the Agency employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Agency employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed".

7. Rule 1 appearing after Rule 15 of the said Rules shall be substituted as 16.

[F. No. 3(11)/76-EIEP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

का. आ. 1444.—सर्वश्री दि मेटल बाक्स कम्पनी इंडिया लि., इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में लाइसेंस के लिए संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए 25,700/- रुपये मूल्य का आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2206927/सी/एक्स एक्स/62/एच/43-44/पेपर दिनांक 1-2-77 प्रदान किया गया था ।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रति किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह बताया है कि लाइसेंस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2206927 दिनांक 1-2-77 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है, इसलिए निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए । मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. पेपर/50/1/76-77/आर एम-2]
सी. एस. आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1979

S.O. 1444.—M/s. The Metal Box Company of India Ltd. Allahabad Bank Building, 17 Parliament Street, New Delhi-110001 were granted Import licence No. P/D/2206927/C/XX/62/H/43-44/Paper dated 1-2-77 for import of Raw materials and Components as per list attached to its valuted is Rs. 25,700 from G.C.A.

2. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs copy has been lost/misplaced without having been registered with any Customs authority. It has been further reported by the licensee that the licence was not utilised at all.

3. In support of the contention, the applicant have filed an Affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of Imports licence No. P/D/2206927 dt. 1-2-77 has been lost or misplaced and hence directs that a duplicate Customs Purposes copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy is hereby cancelled.

4. The duplicate Customs Purposes copy of the licence is being issued separately.

[F. No. Paper/50/1/76-77/RM-II]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1979

का. आ. 1445.—सर्वश्री सिम्पसन एण्ड कं लि., मद्रास को थ्रू. के./आई. एम. जी. के अन्तर्गत 15,00,000/- रुपए (केवल पन्द्रह लाख रुपए) का आयात लाइसेंस संख्या-पीडी/2213646, दिनांक 23-3-1978 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा

शुल्क प्रति सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अस्थानस्थ हो गई/खो गई हैं। लाइसेंसधारी ने आगे यह बताया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गई/खो गई हैं।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने मद्रास में नोटरी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट हैं कि आयात लाइसेंस संख्या-पी/डी/-2213646, दिनांक 23-3-1978 की मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को सामा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल सीमा शुल्क प्रति रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मिसिल संख्या-डी. ई/4/सेल-सर्विस/77-78/आर-एम-1]

सी. एस. आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1979

S.O. 1445.—M/s. Simpson & Co Ltd., Madras were granted import licence No. P/D/2213656 dt. 23-3-1978 under UK/IMG for Rs. 15,00,000 (Rupees Fifteen Lakhs only).

2. The firm have requested for issue of duplicate Customs Copy of the above licence on the ground that the original Customs Copy has been misplaced/lost by the Customs Authorities It has been further reported by the licensee that the Customs Copy of the licence has been misplaced/lost without being registered at any Customs House and has not been utilised at all.

3. In support of their contention, the applicant have filed an Affidavit duly sworn in before a Notary in Madras. The undersigned is satisfied that the original Customs Copy of the import licence No. P/D/2213646 dt. 23-3-1978 has been lost and directs that a duplicate Customs Copy should be issued to the applicant. The original Customs Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Copy of the licence is being issued separately.

[No. DE/4/Sale-Service/77-78/RM-I]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller.

(वाणिज्य विभाग)

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियंत्रण)

नई दिल्ली, 19 अप्रेल, 1979

का० आ० 1446.—का०आ०स० 337, दिनांक 25-1-1979 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:—

के स्थान पर	पढ़ें
क्रमांक 7	
श्री एस०गुरु मूर्ति, निदेशक वित्त प्रभाग वाणिज्य मंत्रालय	श्री पी०डी० खेमानी, उपसचिव वित्त प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय,
क्रमांक 10	
श्री बी०के० पवार, जहाजरानी के उपमहानिदेशक, जहाजरानी महानिदेशालय, बम्बई।	जहाजरानी के उप महानिदेशक, (जलयान चालन), जहाजरानी महानिदेशालय, बम्बई।
क्रमांक 16	
सचिव, विकास, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।	श्री एस० कृष्णकुमार, सचिव (मत्स्य पालन), केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।

[सं०जे०/एम०-16/78-एपी(एग्री)]

(टी० आर० नागराजन, अवर सचिव)

(Deptt. of Commerce)

(MARINE PRODUCTS INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

New Delhi, the 19th April, 1979

S.O. 1446.—In the Notification issued under S.O. No. 387 dated 25-1-1979, the following amendments are made by Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972) read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.

For	Read
S. No. 7	
Shri S. Gurumurthy, Director, Finance Division, Ministry of Commerce.	Shri P.D. Khemani, Deputy Secretary, Finance Division, Ministry of Commerce.
S. No. 10	
Shri B.K. Pawar, Deputy Director General of Shipping, Directorate General of Shipping, Bombay.	Deputy Director General of Shipping (Sailing Vessels), Directorate General of Shipping, Bombay.
S.No. 16	
Development Secretary, Government of Kerala, Trivandrum.	Shri S. Krishnakumar, Secretary (Fisheries), Government of Kerala, Trivandrum.

[No. J/M-16/78-AP(Agri)]

T. R. NAGARAJAN, Under Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 18 अप्रैल 1979

का० आ० 1447.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-6819 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं 17 जुलाई, 1978 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि इस वस्तु का उत्पादन बन्द कर दिया गया है:

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-6819 1978-2-28	मैसर्स इलैक्ट्रिक कन्सट्रक्शन एण्ड इक्विपमेंट कं० लि०, 9, कालीप्रसन्न सिंघी रोड, कलकत्ता-700002 (प० बंगाल)	तीन फेजी प्रेरण मोटरें 2.2 किवा (5 हापा) से 7.5 कि०वा० (10 हापा) तक "ए" श्रेणी के रोधन वाली	IS : 325-1978 तीन फेजी प्रेरण मोटरों की विशिष्टि (चतुर्थ पुनरीक्षण)

[सी एम डी/55 : 6819]
ए० पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1447.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-6819 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 17th July 1978 due to closing down of production.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-6819 1978-02-28	M/s. Electric Construction & Equipment Co. Ltd., 9, Kaliprasanna Singhee Road, Calcutta 700002 (W. Bengal).	Three-phase Induction motors 2.2 kW (5 HP) to 7.5 kW (10 HP) with class 'A' insulation.	IS: 325-1978 Specification for Three-phase induction motors (Fourth Revision).

[No. CMD/55:6819]
A. P. BANERJI., Dy. Director General

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 1448.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. एल. वाई. सुब्रामणियम को मोटरगाड़ी और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का. आ. सं. 958 तारीख 17 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"15. श्री ए. एल. वाई. सुब्रामणियम,
प्रबन्धक (तकनीकी),
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
जाली मेकर चेम्बर्स सं. 1,
227-बैंकर्स रेक्लेमेशन स्कीम,
मुम्बई-400021 ।

[फा. सं. 15(2)/77-एईआई-1]
टी. एस. विजयराघवन, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1448.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri A. L. Y. Subrahmanyam, as a member of the Development Council for Automobile and Allied Industries, and makes the following further amendment in the Order of

the Government of India in the Ministry of Industry No. S. O. No. 958 dated the 17th March, 1979, namely :—

In the said Order, for serial No. 15 and the entries relating thereto, the following serial No. shall be substituted namely :—

"15. Shri A. L. Y. Subramanyam,
Manager (Technical),
Industrial Development Bank of India,
Jolly Maker Chambers No. 1,
227-Backbay Reclamation Scheme,
Bombay-400021."

[F. No. 15(2)/77-AEI-I]

T. S. VIJAYARAGHAVAN, Officer on Special Duty

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का० आ० 1449.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) बिसेसर हाउस टेम्पिल रोड, नागपुर के कार्यालय में या नियंत्रक, बेतुल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 7 में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रशासन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, बिसेसर हाउस, टेम्पिल रोड, नागपुर को भेजेंगे ।

अनुसूची

शोभापुर ब्लाक

पठखेड़ा कोयला क्षेत्र

जिला बेतुल (मध्य प्रदेश)

रेखांक सं० डब्ल्यू० सी०एल०/पी०एल०बी०/सी 1 (ई-III)/एफ०एफ० आर०/222-12-78 तारीख 9-12-1978 ।

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित भूमि वर्णित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	थाना सं०	तहसील	जिला	टिप्पणियां
1.	बगडोना	23	बेतुल	बेतुल	भाग
2.	रानीपुर आरक्षित वन	—	यथोक्त	यथोक्त	भाग
3.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का सरनी ऊष्मीय शक्ति गृह	—	यथोक्त	यथोक्त	भाग

कुल क्षेत्र : 1038 हैक्टेयर (लगभग)
या : 2565 एकड़ (लगभग)

सीमा विवरण

क—ख	रेखा कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन पहले से ही अर्जित भूमि की सीमा के साथ साथ बगडोना गांव से होती हुई बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
ख—ग	रेखा शोभापुर गांव की सीमा के साथ साथ होती हुई जाती है और फिर छतरपुर से होकर बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
ग—घ	रेखा बगडोना गांव से होती हुई बिन्दु "घ" पर बगडोना गाँव और रानीपुर आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा पर मिलती है ।
घ—ङ	रेखा घ गडोना गांव और रानीपुर आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा के साथ साथ होती हुई बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
ङ—ङ 1	रेखा बगडोना गांव से होती हुई उसी गाँव में बिन्दु "ङ" 1 पर मिलती है ।
ङ—च	रेखा क्रमशः अधिसूचना सं० का० आ० 2760, 4055 और 290 ।
छ, ज और झ	तारीख 19-9-63, 14-10-71 और 18-12-71 के द्वारा
ञ, ट, ठ	कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन पहले से ही अर्जित क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ साथ होती हुई बिन्दु "ठ"
ड—ड	पर मिलती है ।
ढ ण	रेखा उस भूमि से होती हुई जो मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के सरनी ऊष्मीय शक्ति गृह के स्वामित्वाधीन है, बिन्दु "ण" पर मिलती ।
ण, त, थ द ध	रेखा खनन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन पहले से ही अर्जित पठखेड़ा ब्लाक III की दक्षिणी सीमा के साथ साथ होती हुई बिन्दु "ध" पर मिलती है ।
ध—क	रेखा खनन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन पहले से ही अर्जित पठखेड़ा ब्लाक III की दक्षिणी सीमा के साथ साथ होती हुई बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19/7/79-सी०एल०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1449.—Where as it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the Office fof the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur or at the Office of the Collector, Betul (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1, within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

SHOBHAPUR BLOCK

PATHAKHERA COALFIELD

DIST. BETUL (MADHYA PRADESH)

Drg. No. WCL/PLG/C-1(E) III/FFR/222-12-78 dt. 9-12-1978.

(Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Village	P.C. No.	Tehsil	District	Remarks
1.	Bagdona	23	Betul	Betul	Part
2.	Ranipur Reserved Forest	—	,,	,,	Part
3.	Sarni Thermal Power House of M.P.E.B.	—	,,	,,	Part

Total Area : 1038 hectares (approximately)
OR 2565 acres (approximately)

Boundary Description

A-B	Line passes through village Bagdona along with boundary of land already acquired under the Coal bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and meets at point 'B'.
B–C	Line passes along the boundary of village Shobhapur and then Chattarpur and meets at point 'C'.
C–D	Line passes through village Bagdona and meets on the commnon boundary of village Bagdona and Ranipur Reserve Forest at point 'D'.
D–E	Line passes along the common boundary of village Bagdona and Ranipur Reserve Forest and meets at point 'E'.
E–E1	Line passes through village Bagdona and meets in the same village at point 'E'1.
E1–F–G–H–I–J–K–L–M–N	Line passes along the northern boundary of the area already acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, vide notifications No. S.O. 2760, 4055 and 290 dated 19-9-63, 14-10-71 and 18-12-71 respectively and meets at point 'N'.
N–O	Line passes through the land owned by Sarni Thermal Power House of M.P.E.B. and meets at point 'O'.
O–P–Q–R–S	Line passes along the southern boundary of Pathakhera Block III, already acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Mining Rights and meets at point 'S'.
S–A	Line passes along the southern boundary of Pathakhera Block III, already acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in Mining Rights and meets at the starting point 'A'.

[No. 19(7)/79-CL]

का०आ० 1450.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3459, तारीख 16 नवम्बर, 1978 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 270.00 एकड़ (लगभग) या 109.26 हैक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला प्राप्त है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 270.00 एकड़ (लगभग) या 109.26 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, हजारी बाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, कान्सिल हाउस, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : इसके द्वारा कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं, अर्थात् :--

8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीन दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों का सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर के हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम के अधीन कोयला नियंत्रक 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अनुसूची

सिरका कोयला खान विस्तारण-II

(दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र)

जिला हजारी बाग

(बिहार)

रेखांक सं० राजस्व/4/79

तारीख 15-1-1979

सभी अधिकार

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	बुन्दू	मांडू	39	हजारीबाग		भाग

कुल क्षेत्र :— 270.00 एकड़ (लगभग)
या 109.26 हेक्टेयर (लगभग)

बुन्दू गांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों के संख्यांक

560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571 (भाग), 576 (भाग), और 646 (भाग) ।

सीमा विवरण

क ख	रेखा बिन्दु गांव में दामोदर नदी के बाएं किनारे के एक भाग के साथ साथ जाती है ।
ख ग	रेखा बिन्दू और सिरका गांव की सम्मिलित सीमा के एक भाग के साथ साथ जाती है ।
ग घ	रेखाएं बुन्दू गांव में प्लाट सं० 646, 571 और 576 से होती हुई जाती है ।
घ क	रेखा बिन्दू गांव में प्लाट सं० 576 से और प्लाट संख्यांक 559 और 560 की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाते हुए प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19(46)/78 सी० एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 1450—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3459 dated the 16th November, 1978, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 270.00 acres (approximately) or 109.26 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that Notification ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands ;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 270.00 acres (approx.) or 109.26 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto ;

NOTE 1. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1-Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

NOTE 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows:—

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different report in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

NOTE 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the said Act.

SCHEDULE

Sirka Colliery Extn. II

(South Karanpura Coalfield)

Distt. Hazaribagh

(Bihar)

Drg. No. Rev/4/79

Dated 15-1-1979

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	Bundu	Mandu	39	Hazaribagh		Part

Total area :—270.00 acres (approx.)
or 109.26 hec. (approx.)

Plot nos. to be acquired in village Bundu :

560, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571 (part), 576 (part) and 646 (part).

Boundary Description:—

A–B	line passes along the part left bank of River Damodar in village Bundu.
B–C	line passes along the part common boundary of village Bundu and Sirka.
C–D–E	line passes through plot nos. 646, 571, and 576 in village Bundu.
E–A	line passes through plot no. 576 and along the common boundary of plot nos. 559 and 560, plot nos. 559 and 560, in village Bundu and meets fat starting point 'A'.

[No. 19(46)/78-CL]

S.R.A. RIZVI, Director

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1979

का० आ० 1451.—पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि के प्रयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), के खण्ड-2 की धारा (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित राज्य की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अंतर्गत संक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

प्राधिकारी	पता	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
उपायुक्त	सिबसागर, जोरहाट (असम)	जोरहाट सबडिवीजन असम राज्य

[सं० 12017/1/77-आई० एण्ड एल०/प्रोडक्शन]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th April, 1979

S.O.1451.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the P & MP (Arul) Act, 1962 (50 of 1962), The Central Government hereby authories the authority mentioned in column (1) of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authority under the Act, within the limits of the state mentioned in the corresponding entry in the column (3) of the said schedule.

SCHEDULE

Authority	Address	Territorial Jurisdiction
Deputy Commissioner	Sibsagar Jorhat (Assam)	Jorhat Sub-division Assam State

[No. 12017/1/77-I & L/Prod.]

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

का. आ. 1452.—यतः 26 अप्रैल, 1979 को इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान वी. टी.-ई. सी. आर. ने जो अनुसूचित उड़ान आई सी-530 (त्रिवेन्द्रम-मद्रास) को परिचालन कर रहा था मद्रास हवाई अड्डे पर ध्वंसावतरण किया ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में उक्त दुर्घटना की एक जांच समिति द्वारा जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है

अतः अब, वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त दुर्घटना की परिस्थितियों एवं दुर्घटना के संभावित मुख्य कारणों को निर्धारित करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

1. श्री एस· रामामृतम,
   नागर विमान के भूतपूर्व महानिदेशक — अध्यक्ष
2. डा. के. आर. के. राव, डी सी एस ओ,
   विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला — सदस्य
3. कॅप्टेन जेड. ए. लालकाका,
   उप परिचालन प्रबंधक, एयर इंडिया — सदस्य
4. श्री आर. वरदराजन,
   डिजाइनर, एच. ए. एल. — सदस्य
5. श्री बी. आर. चोपड़ा, डी. डी. ए. एस.
   नागर विमानन विभाग — सदस्य-सचिव

समिति से अपनी रिपोर्ट दो महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

[फा· सं. एवी-15013/6/79-ए]

एस. एकाम्बरम, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th April, 1979

S.O. 1452.—Whereas Indian Airlines Boeing 737 aircraft VT-ECR crash landed on 26th April, 1979 at Madras Airport while on a scheduled flight IC-530 (Trivandrum-Madras).

And whereas, it appears necessary to Central Government that it is expedient to hold an inquiry into the said accident by a Committee of Inquiry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 74 of Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry composed of the following persons to determine the circumstances of the accident and probable causes leading to the accident :—

1. Shri S. Ramamritham, Ex-Director General of Civil Aviation — ..Chairman
2. Dr. K. R. K. Rao, DCSO, Explosive Research & Development, Laboratory — ..Member
3. Capt. Z. A. Lalkaka, Deputy Operations Manager, Air-India — ..Member
4. Shri R. Varadarajan, Designer, Hindustan Aeronautics Ltd. — ..Member
5. Shri B. R. Chopra, DDAS, Civil Aviation Department — ..Member-Secretary

The Committee is required to submit its report within a period of two months.

[F. No. Av. 15013/6/79-A]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 1453.—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, 1960 के नियम 5 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग—परिवहनपक्ष) की दिनांक 17 मार्च, 1969 की अधिसूचना सं. सा. आ. 628 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 और तत्संबंधी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए और अगली क्रम संख्या का क्रम सं. 8 किया जाए।

[सं. एम.एस.डी.(24)/69-एम.डी.]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1453.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 5 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communication (Department of Transport-Transport Wing) No. S.O. 628, dated 17th March, 1969 namely :—

In the said notifications, S. No. 8 and the entries relating thereto shall be deleted and the subsequent serial number shall be renumebered as S. No. 8.

[No. MSD(24)/69-MD]

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979

का. आ. 1454.—शिपिंग डेवलपमेंट फण्ड कमेटी (जनरल) रूल्स, 1960 के नियम, 5 के साथ पठित मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट 1958 (1958 का 44) के खंड 15 के उपखंड (1) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार पहले के परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग-परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 628, दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं 6 में दिए गए पाठ के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाए, अर्थात् :—

"संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नौवहन के मामलों से नौवहन और परिवहन मंत्रालय।"

[सं. एम. एस. डी./24/79-एम. डी.]

श्रीमती बी. निर्मल, अवर सचिव

New Delhi, 21st April, 1979

S.O. 1454.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 5 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Goverment of India in the late Ministry of Transport and Comminication (Department of Transport-Transport Wing) No. S.O. 628, dated 17th March, 1959 namely :—

In the said notification for the entries against S. No. 6, the following entries shall be substituted, namely :—

"Joint Secretary to the Government of India, dealing with Shipping, Ministry of Shipping and Transport".

[No. MSD/24/79-MD]

Smt. B. NIRMAL, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का. आ. 1455.—चलचित्र (सेंसरशिप) नियमावली, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी श्री विवेकानन्द राय को 9-4-1979 के पूर्वान्ह से अगले आदेश तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, कलकत्ता के प्रादेशिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है।

[संख्या 2/4/78-एफ. सी. खण्ड-2]

के. एस. वेंकटरामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd April, 1979

S.O. 1455.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to appoint Shri Bibekananda Ray, a Grade 1 Officer of the Central Information Service, to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Calcutta with effect from 9-4-1979 F.N. until further orders.

[F. No. 2/4/78-FC]

K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1979

का० आ० 1456.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष साम्बित है ;

और प्रशासनिक कारणों से केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को अन्तरित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा-7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को अन्तरित करती है तथा यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली आगे कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से करेगा, जिस पर वे उसे अन्तरित की जाएं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	विवाद के पक्षकार	निर्देशक संख्यांक और तारीख
1.	इण्डियन एयर-लाइन्स के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकार।	आदेश सं० एल-11012/(4)/75-डी-2 (बी) तारीख 3-9-1975 (1975) का (मामला सं० सी० जी० आई० डी०/57)

[सं० एल-11012/4/75—डी-II (बी)]

हरबंस बहादुर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1979

S.O.1456—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal, Delhi :

And whereas for administrative reasons, the Central Government considers it desirable to transfer the said disputes for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Delhi and transfers the same to the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi constituted under section 7A of the said Act and directs that the said Cetnral Government Industrial Tribunal, New Delhi, shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference number and date
1.	Management of Indian Airlines and their workmen.	Order No. L-11012(4)/75-D.II (B) dated 3-9-1975 (Case No. C.G.I. D./57 of 1975).

[No. L-11012(4)/75-D.II (B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 1457.—भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 782, दिनांक 1 अप्रैल, 1979 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एन. एल. ककर को पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या एस. 11020/6/79/डी 1 ए]

एल. के. नारायणन्, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 1457.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Delhi constituted by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation No. S. O. 782 dated the 1st April, 1959;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri N. L. Kakkar, as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S. 11020/6/79/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

का. आ. 1458.—मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, (इस्पात ढलाई खंड और वस्त्र खंड), डाकघर बिरला नगर, ग्वालियर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप संबंधित बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति में 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियमों का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले किसी अन्य स्थापन में चला जाता है तो नियोजक, उस जाने वाले कर्मचारी के जमाखाते में आनुपातिक प्रीमियम को ऐसे अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया

मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, के स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती के प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

9. समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इंदौर, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि यह छूट उस तारीख से रद्द कर दी गई है और स्थापन को उक्त स्कीम के अंतर्गत हुआ माना जाएगा ।

11. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी और नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. यदि नियोजक, प्रीमियम आदि के संदाय में व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिकवारिसों को, जो वह छूट न दी जाने की दशा में कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत होते, बीमा स्कीम फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा ।

[सं. एस. 35014/14/79-पी.एफ. 2]

New Delhi, the 19th April, 1979

S.O. 1458.—Whereas Messrs. Central India Machinery Manufacturing Company Limited (Steel Foundry Division and Textile Division), Post Office Birlanagar, Gwalior (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the opeation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, Indore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within fifteen days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administation of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange, in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act, to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employees.

6. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhance, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, Indore and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Whereas, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is likely to be cancelled and the employer proceeded against.

12. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 but for grant of this exemption, will be that of the employer.

[No. S. 35014(14)/79-PF II]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1979

का. आ. 1459.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स त्रिमूर्ति फिल्मस (प्राइवेट) लिमिटेड, बी-11, कॉमर्स सेण्टर, तारदेव, मुम्बई-34, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35018(13)/79-पी. एफ. 2]

New Delhi, the 20th April, 1979

S.O. 1459.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Trimurti Films (Private) Limited, B-11, Commerce Centre, Tardeo, Bombay-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1974.

[No. S. 35018(13)/79-P.F. II]

का. आ. 1460.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईमर इण्डस्ट्रीज, राव, इन्दौर (मध्य प्रदेश), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019/79-पी. एफ. 2]

S.O. 1460.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Emar Industries, Rao, Indore (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

(No. S-35019(19)/79-P.F. II)

का. आ. 1461.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1571, तारीख 10 मई, 1978 के क्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन को जो पोतपरिवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, 11 अगस्त, 1978 से 30 जून, 1970 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने में प्रतिष्ठान का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने में प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणिकाएं, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है , या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं. एस. 38014/31/78-एच. आई.]

S.O. 1461.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1571 dated the 10th May, 1978, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby exempts the Cochin Shipyard Limited, Cochin, a Public Sector Undertaking under the Ministry of Shipping and Transport from the operation of the said Act for the period from the 11th August, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(i) The employer of the said factory or establishment shall submit in respect of the period during which that factory or establishment was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

(ii) any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interests of anybody adversely.

[No. S-38014/31/78-HI]

का. आ. 1462.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1455, दिनांक 4 मई, 1978 के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई (इससे पूर्व यह दि फर्टीलाइजर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के नाम से जाना जाता था) को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए, छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पदधारण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं. एस. 38014/35/78-एच. आई.]

S.O. 1462.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act. 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1455 dated the 4th May, 1978, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Bombay (previously known as Fertilizer Corporation of India Limited, Bombay) from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely : —

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ;

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ;

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persists and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/35/78-HI]

का. आ. 1463.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 661, दिनांक 17 फरवरी, 1978, के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् इण्डियन आयल ब्लेण्डिंग लिमिटेड, पी-68, सी.सी.आर. डाइवर्सन रोड, पहाड़पुर कलकत्ता और इण्डियन आयल ब्लेण्डिंग लिमिटेड, पिर पाऊ, ट्रामबे, बम्बई-74, को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए, छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि को बाबत दी गई किसी विवरण की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ , या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल-स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. एस. 38014/38/78-एच.आई.]

S.O. 1463.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 661 dated the 17th February, 1978 the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts Indian Oil Blending Limited, P 68, C. C. R. Diversion Road, Paharpur, Calcutta and Indian Oil Blending Limited, Pir Pau, Trombay, Bombay-74, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and record were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification: or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persists and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/20/78-HI]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का. आ. 1464.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केरल लिव स्टाक डवलपमेंट एण्ड मिल्क मार्कीटिंग बोर्ड, पीयरमेड यूनिट फेयरफील्ड, डाकघर पसुपारा ग्राम, पायरमेड तालुक, इदुक्की जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों

की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं.एस.35019(20)/79-पी.एफ.2]

New Delhi, the 23rd April, 1979

S.O. 1464.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kerala Live Stock Development and Milk Marketing Board, Peermade Unit Fairfield Post Office Pasuppara Village, Peermade Taluk, Idukki District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1978.

[No. S. 35019(20)/79-PF.II]

का. आ. 1465.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैक्सवेल फर्मास्यूटिकल्स (प्रा) लि.46ए/बी.गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल एस्टेट, प्रथम फलोर, कांदीवली (पश्चिम), मुम्बई-67, जिसके अन्तर्गत (1) सी-12 वाघले इस्टेट, थाना और (2) 33, विजयवाडी गिरगांव, मुम्बई-2, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(21)/79-पी.एफ.2(1)]

S.O. 1465.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Maxwell Pharmaceuticals (Private) Limited, 46 A/B, Government Industrial Estate, 1st Floor, Kandivli (West), Bombay-67 including its branches at (1) C12 Waghle Estate, Thana and (2) 33, Vijaywadi, Girgaon, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1976.

[No. S. 35018/21/79-PF.II(i)]

का. आ. 1466.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवशयक जांच करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 1976 से मैसर्स मैक्सवेल फर्मास्यूटिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड 46 ए/बी, गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल इस्टेट, प्रथम फलोर, कांदीवली (पश्चिम), मुम्बई-67, जिसके अन्तर्गत (1) सी-12 वाघले इस्टेट, थाना और (2) 33, विजयवाडी, गिरगांव, मुम्बई-2, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35018(21)/79-पी.एफ 2 (2)]

S.O. 1466.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of September, 1976 the establishment known as Messrs. Maxwell Pharmaceuticals (Private) Limited, 46 A/B, Government Industrial Estate, 1st Floor, Kandivli (West), Bombay-67 including its branches at (1) C12 Waghle Estate, Thana and (2) 33, Vijaywadi, Girgaon, Bombay-2, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35018/21/79-PF.II(ii)]

का. आ. 1467.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कि मैसर्स परब इलैक्ट्रिकल्स, 6/17, जवाहर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गोविंद नगर, सोडावाला लेन, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-92, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(22)/79-पी.एफ. (2)]

S.O. 1467.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Parab Electricals, 6/17, Jawahar Co-operative Housing Society, Govind Nagar, Sodawala Lane, Borivli (West), Bombay-92, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35018/22/79-PF.II]

का. आ. 1468.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 848, दिनांक 9 मार्च, 1973 के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् दि हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पूने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित हैं, की और अवधि के लिए, छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखा का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं , या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल-स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के समबन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं , या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना , या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य, दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पदधारण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-38014/29/78-एच. आई.]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 1468.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 848, dated the 9th March, 1978, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Pune, from the operation of the said Act for a further period from the 1st July, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has becomes necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/29/78-HI]

का. आ. 1469.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स पंजाब स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल, 562, सेक्टर 18-बी, चंडीगढ़, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस. 35019(35)/79-पी एफ. 2]

S.O. 1469.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab State Sports Council, 562, Sector 18-B, Chandigarh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1978.

[No. S-35019(35)/79-PF. II]

का. आ. 1470.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स निस्तल फाउंड्रीज 114/3, जी. आई. डी. सी. ओधव, जिला अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(48)/78-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 1470.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nistal Foundries, 114/3, G. I. D. C. Odhav, District Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1978.

[No. S. 35019/48/79-PF. II (i)]

का. आ. 1471.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 जून, 1978 से मैंसर्स निस्तल फाउंड्रीज, 114/3, जी. आई. डी. सी. ओधव, जिला अहमदाबाद, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(48)/79-पी.एफ. 2 (2)]

S.O. 1471.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of June, 1978 the establishment known as Messrs Nistal Foundries, 114/3, G. I. D. C. Odhav, District Ahmedabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/48/79-PF. II (ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

का. आ. 1472.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स एम. संजाव नायक, कंट्रेक्टर आफ प्रकाश बीड़ी वर्क्स, मंजेशर डाकघर मजेश्वर उदयावर ग्राम, कर्नागोड तालुक, कन्नानोर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(49)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 1472.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. Sanjeeva Nayak, Contractor of Prakash Beedi Works, Manjeswar, Post Office Manjeswar Udayavar Villagt, Karnagode Taluk, Cannanore District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1977.

[No. S. 35019/49/79-PF. II]

का. आ. 1473.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स कम्यूनिटी इंजीनियरिंग वर्क्स, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, त्रिवेन्द्रम-19, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं एस. 35019(54)/79-पी. एफ. 2]

S.O. 1473.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Community Engineering Works, Industrial Estate, Trivandrum-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1979.

[No. S. 35019/54/79-PF. II]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का. आ. 1474.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बम्बई इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, ए-186, पीनया इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर-58, नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(41)/79-पी. एफ. II(1)]

S.O. 1474.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bombay Engineering Industries-A-186, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now there, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1978.

[No. S. 35019(41)/79-P.F. II(i)]

का. आ. 1475.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध भविष्य में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 दिसम्बर, 1978 से मैसर्स बम्बई इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, ए-186, पनिया इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बंगलौर-58 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019 (41)/79-पी. एफ. 2]

S.O. 1475.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the fist day of December, 1978 the establishment known as Messrs. Bombay Engineering Industries, A-186, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/41/79-P.F. II(ii)]

का. आ. 1476.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोल्ड स्टार मशीनरी एण्ड जेनरल कम्पनी, पोस्ट बाक्स नं., 69 द्वारका बिल्डिंग, मारगाओ गोवा जिसके अन्तर्गत (1) वास्को-डा-गामा, नियांगी बिल्डिंग और (2) नाटेकर बिल्डिंग, मपुका-गोवा स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(42)/78-पी. एफ. II]

S.O. 1476.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the said establishment known as Gold Star Machinery and General Company, Post Box No. 69, Dwarka Building, Margo, Goa including its branches at (1) Vasco-da-Gama, Neogi Building and (2) Natekar Building, Mapuca-Goa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S-35018/42/78-P.F.II]

का. आ. 1477.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर, जिसके अन्तर्गत (1) गंगापुर (जिला सवाई माधोपुर), (2) बोनली (जिला सवाई माधोपुर) और (3) नदौंती (जिला सवाई माधोपुर) स्थित उसकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(42)/78-पी.एफ. 2(1)]

S.O. 1477.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sawai Madhopur Sahakari Bhoomi Vikas Bank Limited, Sawai Madhopur Including its branches at (1) Gangapur (District Sawai Madhopur), (2) Bonli (District Sawai Madhopur) and (3) Nadouti (District Sawai Madhopur), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1973.

[No. S.-35019(42)/79-PF. II(i)]

का. आ. 1478.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1973 से मैसर्स सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर, जिसके अन्तर्गत (1) गंगापुर (जिला सवाई माधोपुर), (2) बोनली (जिला सवाई माधोपुर), (3) नदौंती (जिला सवाई माधोपुर)

स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(42)/79-पी.एफ 2(2)]

S.O. 1478.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November, 1973 the establishment known as Messrs Sawai Madhopur Sahakari Bhoomi Vikas Bank Limited, Sawai Madhopur including its branches at (1) Gangapur (District Sawai Madhopur), (2) Bonli (District Sawai Madhopur) and (3) Nadouti (District Sawai Madhopur), for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(42)/79-PF. II(ii)]

का. आ. 1479.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोल्ड स्ट्रिप्स एण्ड प्रोकसाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 3, गौरीपुरम, पश्चिमी स्ट्रीट, करूर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(44)/79-पी. एफ. 2]

S.O. 1479.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rolled Strips and Proxiles (Private) Limited, 3, Gowripuram, West Street, Karur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1978.

[No. S-35019(44)/79-PF.II]

का. आ. 1480.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इ. पी. ब्रदर्स, पोस्ट बाक्स नं. 1, ओट्टापालम (केरल) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1968 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(46)/78-पी.एफ. 2(1)]

S.O. 1480.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs E. P. Brothers, Post Box No. 1, Ottamalam (Kerala), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1968.

[No. S-35019(46)/79-PF. II(i)]

का. आ. 1481.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1968 से मैसर्स ई. पी. ब्रादर्श, पोस्ट बाक्स नं. 1, ओट्टापालम (केरल), नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(46)/79-पी. एफ. 2(2)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 1481.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1968 the establishment known as Messrs E. P. Brothers, Post Box No. 1, Ottapalam (Kerala), for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(46)/79-PF.II(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

का०आ० 1482.—वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पेंच एरिया, पोस्ट आफिस पारासिया, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (एच०एम०एस०) चांदामीटा करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को, जो उसे 29 मार्च, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री बी०आर० हरना, उप मुख्य खनन इंजीनियर भामोरी ग्रुप।
2. श्री आर० एल० शर्मा, कार्मिक मैनेजर, वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड पेंच एरिया, पो०आ० पारासिया जिला छिंदवाड़ा (एम०पी०)

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री बी०के० तिवारी, महासचिव, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (एच०एम०एस०), पोस्ट आफिस चांदा मीटा, जिला छिंदवाड़ा (एम०पी०)।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एम०एन० पांडे, निदेशक (कार्मिक), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि०, जमशेदपुर, बिहार के मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है:—

"क्या 334 भूतपूर्व नैमित्तिक/बदली कर्मकारों, जिनके नाम परिशिष्ट में उल्लिखित हैं,

के रोजगार के लिए यूनियन की माँग न्यायोचित है या नहीं यदि यह माँग न्यायोचित है, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

(1) प्रबन्ध तंत्र का नाम और पता — वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, पेंच एरिया, डाकघर परासिया, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश)

(2) कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम — भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (एच०एम०एस०), डाकघर चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(3) अन्तर्ग्रस्त प्रतिष्ठान — रावनवारा खास कोलियरी, पेंच ईस्ट इनक्लाइन, चांदामेटा कोलियरी, नार्थ चांदामेटा कोलियरी, न्यूटन चिकली "ए" और "बी" कोलियरीज, बुरकुई कोलियरी, भामोरी कोलियरी, सेन्ट्रल मैन स्टोर, ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी बोरिंग विभाग

(4) उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या — 15367 (1-2-1979 को)

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या — 334

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो पक्षों के बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले
ह० /-	ह० /-
(वी०के० तिवारी)	(बी०आर० हुरने)
अनुलग्नक–परिशिष्ट	ह०/-
	(आर०एल० शर्मा)

साक्षी

1. ह०/– अपाठ्य
2. ह०/– अपाठ्य

परासिया

तारीख 23-3-1979

माध्यस्थम करार दिनांक 23-3-1979 का परिशिष्ट

भूतपूर्व नैमित्तिक/बदली कर्मकारों की सूची

(1) रावनवारा खास कोलियरी/पेंच ईस्ट इनक्लाइन

1. इन्दल यादव	2. विजय नारायण शर्मा	3. नारायण शर्मा
4. मेवालाल	5. प्रेम लाल	6. गोपाल
7. सखीलाल	8. शाह मोहम्मद	9. वीरेन्द्र सिंह
10. जसवन्त सिंह	11. रामभाउ	12. बीपत
13. प्रहलाद	14. मेवा लाल	15. कन्हैयालाल
16. राम लखन	17. सहताब सिंह	18. बाबूलाल
19. टेक चन्द	20. राम प्रसाद	

(2) सी०एम० स्टोर

1. तुलसी राम	2. काशी राम	3. मैनेश
4. दद्दुआ	5 अशोक	6. मोहम्मद यसीन
7. लेखराम	8. बालू	9. फूल सिंह
10. मुन्ना लाल	11. बसन्त	12. शंकरलाल

(3) चांदामेटा नं० 6 तथा 8

1. नियामत	2. शिवमोहन	3. रामकिशन
4. रामजी	5. राम दयाल	6. मधु
7. श्रीराम	8. दोन्डिया	9. अनाखलाल
10. फूलबनशाह	11. खेमचन्द	12. भगवान दीन
13. ईश्वर	14. निजाम	15. पूरन सिंह
16. रमेश	17. करामत	18. विष्णु
19. राजेन्द्र	20. मकीरी	

(4) रावनवारा कोलियरी

1. श्रीमती प्रभावती	2. श्रीमती प्रेमवती	3. श्रीमती मंगलवती
4. श्रीमती माधरा	5. श्रीमती मैना	6. श्रीमती चन्द्रा
7. श्रीमती गिरजावती	8. श्रीमती मगिया	9. श्रीमती श्री
10. श्रीमती फूलवती	11. श्रीमती पुनिया	12. श्रीमती लक्ष्मी
13. श्रीमती रामबाई	14. श्रीमती कमला बाई	15. श्रीमती रामवती
16. श्रीमती मीरा	17. श्रीमती गुलाब	18. श्रीमती भीखा
19. रामानन्द	20. राम प्रसाद	21. गणपत
22. जयराम	23. ताराचन्द	24. रमेश चन्द
25. रवि शंकर	26. हेमराज	27. फूलचन्द
28. दीपचन्द	29. नारायण	30. बाबू लाल

31. बैसाखी
32. शिवकुमार
33. दुखलाल
34. रफीक अहमद
35. मोहम्मद हासिब
36. सुखराम
37. सुखन कुमार
38. छोटेलाल
39. गुरु प्रसाद
40. मनोहर लाल
41. मोती लाल
42. गणेश प्रसाद
43. विजय कुमार
44. गंगादेवप्रसाद
45. ननकू
46. भोलाल सिंह
47. शियराय
48. बारेलाल
49. रामप्रसाद यादव
50. राम दयाल
51. रमेश कुमार
52. भुल्लन
53. हुकुमचन्द
54. मनक लाल
55. सीताराम
56. सुखेलाल
57. श्रीराम
58. देवीदीन
59. रघुनन्दन

(5) नार्थ चांदामेटा कोलियरी

1. दुर्गा प्रसाद
2. अमनुद्दीन
3. बलवन्त सिंह
4. समुन
5. अब्दुल माटिम
6. बावरुद्दीन
7. कल्लान
8. लक्ष्मण प्रसाद
9. चन्द्रभूषण
10. रहीम खान
11. बनवारी लाल
12. यशवन्त
13. भग्त
14. प्रीतम
15. बसन्त कुमार
16. इमराल
17. राजेन्द्र सिंह
18. मवाकन अली
19. इकबाल हुसेन
20. नान्हू
21. राम सिंह
22. अजीब सिंह
23. नामदेव राव
24. साजन
25. पंचू लाल
26. राजेन्द्र कुमार
27. अखी खान
28. प्रताप सिंह
29. राम दयाल
30. वकील
31. वैद्यनाथ
32. सुन्दर लाल
33. मोहन
34. रमेश
35. मान सिंह
36. मोहम्मद लतीफ
37. शिव प्रसाद
38. मानक प्रसाद
39. दामोदर
40. गंगाराम

(6) न्यूटन चिकली कोलियरी

1. तिलकू
2. श्रीकान्त
3. सुखलाल
4. लालजी
5. मोहम्मद इस्लाम
6. फरीद अहमद
7. सुखराम
8. सीयाराम
9. हुकुम चन्द
10. बाबा
11. मातक
12. मान सिंह
13. राम लाल
14. श्याम
15. गोविन्द
16. लाखन
17. अजाम शा
18. रामीलाल
19. दुलीचन्द
20. रतनू
21. कनऊलाल
22. झारी
23. श्रवण
24. शेख अब्बास

(7) बारकुई कोलियरी

1. लखन लाल
2. गणेश प्रसाद
3. सुखराम
4. राम दास
5. श्रीचन्द
6. उमेश
7. गोविन्द
8. महेश
9. नारायण
10. प्रकाश
11. देवेन्द्र
12. लहादू
13. रतीराम
14. अशोक
15. मुंशीलाल
16. सलीम
17. रमेश
18. बिमल
19. राम प्रसाद
20. रवीन्द्र सिंह
21. दुर्गा प्रसाद
22. जगदीश
23. शिव प्रसाद
24. बदरी प्रसाद
25. रमेश कुमार
26. मोहन सिंह
27. बाल किशन

(8) भामोरी कोलियरी

1. लल्लू प्रसाद
2. दुलाली
3. रामचरण
4. हरबंस प्रसाद
5. छोटी लाल
6. देवनारायण
7. बाल किशन सुपुत्र पन्नालाल
8. ओंकार प्रसाद
9. लाखन लाल सुपुत्र दामरी
10. श्यामलाल सुपुत्र कल्ला
11. अजब लाल
12. रामसिंह
13. जाहीद अली
14. अब्दुल हाफिज सुपुत्र अब्दुल कालिक
15. फीदाली
16. हाफिज सुपुत्र शेख अजीज
17. रमेश सिंह
18. नारायण
19. शंकर सुपुत्र दुल्ला
20. लतीफ खान
21. राम सिंह
22. रमेश शर्मा
23. हबीब खान
24. अनिल कुमार सुपुत्र रमेश
25. रशीद खान
26. शिवचरण
27. बाबूलाल
28. बद्री प्रसाद
29. मोहन सिंह
30. तेजीलाल
31. जब्बार
32. मेहताब
33. ठाकुरदीन

34. श्याम लाल	35. रमेश सिंह	36. अशोक कुमार सुपुत्र नारायण सिंह
37. अनिल कुमार सुपुत्र जवाल	38. शिवदयाल	39. गुलफे
40. प्रेम चन्द जैन	41. राज कुमार	42. दिनेश कुमार
43. शिव सिंह	44. टोडे लाल	45. गुड्डाल
46. नारायण प्रसाद	47. श्याम लाल सुपुत्र उमेदा	48. रमेश कुमार
49. मोहम्मद निमकिन	50. मोहम्मद खान	51. अब्दुल सलीम
52. अहमद खान	53. गंगा प्रसाद	54. सेवी प्रसाद
55. रूपालाल	56. बनवारी	57. तिलक धारी
58. परमहंस	59. महेश दत्त	60. आशयराम
61. लोधी	62. सदानन्द	63. इसरत
64. मुजीब	65. मस्तराम	66. दादूराम
67. लाखन लाल सुपुत्र फागू	68. अलताफ	69. आरिफ
70. घनश्याम	71. शंकर सुपुत्र सुखदेव	72. अब्दुल रफिक सुपुत्र जरीम
73. लाखम	74. केशव	75. गनकराम
76. पुसू	77. शिवमंगल	78. राजू
79. दर्शन	80. आजाद	81. हरीण
82. बालकिशन सुपुत्र जंगालिया	83. लाल चन्द	84. हरीशचन्द्र
85. चिरौलाल	86. शेषराव	87. रामचन्द्र
88. प्रेम लाल	89. कन्हैयालाल	90. रामरत
91. शेख हबीब	92. दुबेलाल	93. अशोक कुमार
94. रामेश्वर	95. विश्राम	96. बाबूलाल
97. बेनी	98. सन्तराम	99. दिलावर
100. रज्जाक	101. गुलाब	102. पिरु
103. नबी	104. बोधराम	105. राम चरण
106. बलदेव	107. शेख हबीब सुपुत्र शेख सुल्तान	

(9) बोरिंग विभाग

1. गेंदलाल	2. जंगलू	3. दुर्गा प्रसाद
4. बाबूलाल	5. इमरात	

(10) ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी

1. दीनदयाल	2. तीरथ	3. भैयालाल
4. रवि प्रकाश	5. शेषराम	6. इसराइल
7. कासिम	8. शेख वहीद	9. शेष राम
10. दशरथ	11. महादेव राव	12. गंगा प्रसाद
13. गणेश लाल	14. दयाराम	15. जफ्फर खान
16. अनवर खान	17. हमीद खान	18. द्वारका

[संख्या एल-22013(5)/79-डी० 4 (बी)]

शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1979

S.O. 1482.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Western Coalfields Limited, Pench Area, Post Office Parasia, District Chhindwara (Madhya Pradesh) and their workmen represented by Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS), Chandametta.

And, Whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 29th March 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing employers: 1. Shri B.R. Harne, Dy. Chief Mining Engineer, Bhamori Group.

2. Shri R.L. Sharma, Personnel Manager, Western Coalfields Ltd., Pench Area, P.O. Parasia, Dist. Chhindwara (MP).

Representing workmen : Shri B.K. Tiwari, General Secretary, Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS), P.O. Chandametta, Dist. Chhindwara (MP).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri S.N. Pandey Director (Personnel), Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jameshdpur, Bihar.

"Whether the demand of the union for employment to 334 Ex. Casuals/Badlies, whose names are mentioned in the Annexure, is justified or not; if justified, to what relief they are enttiled to ?"

1. Name and address of the management. — Western Coalfields Ltd., Pench Area, P. O. Parasia, Dist. Chhindwara(MP).
2. Name and address of the union representing the workmen. — Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS), P.O. Chandametta, Dist. Chhindwara (MP).

3. Establishment involved	Rawanwara Khas Colliery, Pench East Incline, Chandametta Colliery, North Chandametta Colliery, Newton Chickli 'A' & 'B' collieries, Burkui Colliery, Bhamori Colliery Central Main Stores, East Dongar Chickli colliery, Boaring Dept.
4. Total number of workers employed in the undertaking.	15367 (as on 1-2-79)
5. Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.	334

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his Award within a peroid of 3 months or within such further time as extended by mutual agreement between the parties in writing.

SIGNATURE OF THE PARTIES

Representing Workmen	Representing Employer
Sd/-	Sd/-
(B. K. TIWARI)	(B.R. HARNE)
	Sd/-
	(R.L. SHARMA)

Enc. Annexure :
Witnesses :
1. Sd/-Illegible
2. Sd /- Illegible
PARASIA
Dt. 23-3-1979

ANNEXURE TO ARBITRATION AGREEMENT DATED 23-3-79
List of Ex. Casuals/Badlis

(1) RAWANWARA KHAS COLLIERY/PENCH EAST INCLINE

1. Indal Yadav	2. Vijay Narain Sharma	3. Narayan Sharma
4. Mewalal	5. Premlal	6. Gopal
7. Sannilal	8. Shah Mohammad	9. Virendra Singh
10. Jaswant Singh	11. Rambhau	12. Bipat
13. Prahlad	14. Mekhalal	15. Kanhaialal
16. Ram Lakhan	17. Sahatav Singh	18. Babulal
19. Tek Chand	20. Ramprasad	

(2) C.M. STORES

1. Tulsiram	2. Kashiram	3. Manesh
4. Dadooa	5. Ashok	6. Mohd. Yasin
7. Lekhram	8. Baloo	9. Phul Singh
10. Munnalal	11. Basant	12. Shankarlal

(3) CHANDAMETTA No. 6 AND 8

1. Niyamat	2. Sivmohan	3. Ramkishan
4. Ramjee	5. Ram Dayal	6. Madhu
7. Sriram	8. Dondia	9. Anakhlall
10. Phulbanshah	11. Khemchand	12. Bhagwan Din
13. Ishwar	14. Nizam	15. Pooran Singh
16. Ramesh	17. Karamat	18. Vishnu
19. Rajendra	20. Skiry	

(4) RAWANWARA COLLIERY

1. Smti Prabhawati	2. Smti Premwati	3. Smti Mangalwati
4. Smti Mathra	5. Smti Maina	6. Smti Chandra
7. Smti Girjawati	8. Smti Sagia	9. Smti Sree
10. Smti Phulwati	11. Smti Punia	12. Smti Laxmi
13. Smti Rambai	14. Smti Kamla Rai	15. Smti Rambati
16. Smti Neera	17. Smti Gulab	18. Smti Bhinna
19. Ramanand	20. Ram Prasad	21. Ganpat
22. Jairam	23. Tarachand	24. Ramesh Chand
25. Ravishankar	26. Hemraj	27. Phoolchand
28. Deepchand	29. Narayan	30. Baboolal
31. Baisakhoo	32. Shivkumar	33. Dukhlal
34. Rafiq Ahamad	35. Mohd. Hasib	36. Sukhram
37. Sukhan Kumar	38. Chotelal	39. Guru Prasad
40. Manohar Lal	41. Motilal	42. Ganesh Prasad
43. Vijay Kumar	44. Gangadev Prasad	45. Nankoo
46. Bholal Singh	47. Sivrao	48. Barelal
49. Ramprasad Yadav	50. Ram Dayal	51. Ramesh Kumar
52. Bhullan	53. Hukamchand	54. Jhanak Lal
55. Sitaram	56. Subelal	57. Sriram
58. Devideen	59. Raghunandan	

(5) NORTH CHANDAMETTA COLLIERY

1. Durga Prasad
2. Imanuddin
3. Balwant Singh
4. Samuel
5. Abdul Matin
6. Badruddin
7. Kallan
8. Laxman Prasad
9. Chandrabhushan
10. Rahim Khan
11. Banwarilal
12. Yeshwant
13. Bharat
14. Pritam
15. Basant Kumar
16. Imrat
17. Rajendra Singh
18. Swakat Ali
19. Iqbal Hussain
20. Nanhoo
21. Ram Singh
22. Ajib Singh
23. Namdeo Rao
24. Sajan
25. Panchoo Lal
26. Rajendra Kumar
27. Akhi Khan
28. Pratap Singh
29. Ram Dayal
30. Vakil
31. Deonath
32. Sunder Lal
33. Mohan
34. Ramesh
35. Mansingh
36. Mohd. Latif
37. Siv Prasad
38. Manak Prasad
39. Damodar
40. Gangaram

(6) NEWTON CHICKLI COLLIERY

1. Tilkoo
2. Srikant
3. Sukhlal
4. Lalji
5. Mohd. Islam
6. Farid Ahmad
7. Sukhram
8. Siaram
9. Hukam Chand
10. Baba
11. Matak
12. Mansingh
13. Ramlal
14. Shyama
15. Govind
16. Lakhan
17. Ajam Sha
18. Ramilal
19. Dullchand
20. Ratnoo
21. Kanaulal
22. Jhaari
23. Sarwan
24. Sk. Abbas
25. Chaturi Prasad
26. Nandoo

(7) BARKUI COLLIERY

1. Tokhan Lal
2. Ganesh Prasad
3. Sukhram
4. Ramdas
5. Srichand
6. Umesh
7. Govind
8. Mahesh
9. Narayan
10. Prakash
11. Devendra
12. Lahatoo
13. Ratiram
14. Ashok
15. Munshilal
16. Salim
17. Ramesh
18. Vimal
19. Ram Prasad
20. Ravindra Singh
21. Durga Prasad
22. Jagdish
23. Shiv Prasad
24. Badri Prasad
25. Ramesh Kumar
26. Mohan Singh
27. Balkishana

(8) BHAMORI COLLIERY

1. Lalloo Prasad
2. Dubali
3. Ramcharan
4. Hrbans Prasad
5. Dorilal
6. Deonarayan
7. Balkishan S/o Pannalal
8. Onkar Prasad
9. Lakhan Lal S/o Damri
10. Shyamlal S/o Kalla
11. Ajablal
12. Ram Singh
13. Jahid Ali
14. Abdul Hafiz S/o Abdul Kalik
15. Fidali
16. Hafiz S/o Sk. Azees
17. Ramesh Singh
18. Narayan
19. Shankar S/o Dulla
20. Latif Khan
21. Ram Singh
22. Ramesh Sharma
23. Habib Khan
24. Anil Kumar S/o Ramesh
25. Rashid Khan
26. Shivcharan
27. Babulal
28. Badri Prasad
29. Mohan Singh
30. Tejilal
31. Jabbar
32. Mehtab
33. Takurdin
34. Shyamlal
35. Ramesh Singh
36. Ashok Kumar S/o Narayan Singh
37. Anil Kumar S/o Jwal
38. Sheodayal
39. Gulfrey
40. Premchand Jain
41. Rajkumar
42. Dinesh Kumar
43. Sheo Singh
44. Todey Lal
45. Suddal
46. Narayan Prasad
47. Shyamlal S/o Umeda
48. Ramesh Kumar
49. Mohd. Nlskin
50. Mehmod Khan
51. Abdul Salim
52. Ahmed Khan
53. Ganga Prasad
54. Senni Prasad
55. Roopalal
56. Panwari
57. Tilak Dhari
58. Parmahansa
59. Mahesh Datt
60. Asharam
61. Lodhi
62. Sadanand
63. Israt
64. Mujib
65. Mustram
66. Dadooram
67. Lakhan Lal S/o Fagoo
68. Altaf
69. Arif
70. Ghanshyam
71. Shankar S/o Sukhdeo
72. Abdul Rafiq S/o Jareem
73. Lakhan
74. Keshav
75. Sanakram

76. Punnoo	77. Shivmangal	78. Rajoo
79. Darshan	80. Ajad	81. Harish
82. Balkishan S/o Jangaliya		83. Lalchand
84. Harishchandra		85. Chidilal
86. Sheshrao	87. Ramchandra	88. Premlal
89. Kanhaialal	90. Ramrat	91. Sk. Habib
92. Dubeylal	93. Ashok Kumar	94. Rameshwar
95. Bishram	96. Babulal	97. Beni
98. Santram	99. Dilawar	100. Rajjak
101. Gulab	102. Piroo	103. Nabi
104. Bodhram	105. Ramcharan	106. Baldeo
107. Sk. Habib S/o Sk. Sultan.		

(9) BORING DEPARTMENT

1. Gendlal	2. Jangloo	3. Durga Prasad
4. Babulal	5. Imrat	

(10) EAST LONGAR CHICKLI COLLIERY

1. Dindayal	2. Tirath	3. Bhaiyalal
4. Ravi Prakash	5. Sheshram	6. Israil
7. Kasim	8. Sk. Dahid	9. Sheshram
10. Dashrath	11. Mahadeo Rao	12. Ganga Prasad
13. Ganesh Lal	14. Dayaram	15. Jaffar Khan
16. Anwar Khan	17. Hamid Khan	18. Dwarka

[No. L-22013(5)/79-D-IV(B).]
SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979